एनटीपीसी
NTPC

एन टी पी सी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
NTPC Limited
(A Govt. of India Enterprise)
(Formerly National Thermal Power Corporation Ltd

रिहंद / Rihand

संदर्भ संख्या **/Ref No:** 070/मा०सं०/2022 दिनांक **/ Date:** 01.04.2022

To,

Chief Conservator of Forests & Nodal Officer,
Uttar Pradesh Forest Dept.,
Lucknow, Uttar Pradesh

Sub: Regularization of 555.759 ha of diverted forest land for the construction of Rihand Super Thermal Power Project under Renukoot Forest Division in Sonebhadra district of Uttar Pradesh- Regarding Compliance of EDS dated 18.02.2022

Ref: 1. EDS dated 18.02.2022 2. FP/UP/THE/36097/2018

Respected Sir,

With reference to the EDS raised on 18.02.2022, point-wise compliance of the observations are as follows.

S. No.	Observations	Compliance
1.	ऑनलाइन पार्ट–1 के कमांक A-3 (xvii) में दो भिन्न–भिन्न अधिकृत पत्र अपलोड किया गया है तथा A-3 (i), (ii) & (iii) में अधिकृत अधिकारी का नाम अधिकृत पत्र के अनुसार नहीं है।	ऑनलाइन पार्ट–1 के कमांक A-3 (xvii) में दो भिन्न–भिन्न अधिकृत पत्र अपलोड किया गया है क्योकि पुराने अधिकारी का ट्रांसफर हो चूका है तथा A-3 (i), (ii) & (iii) में अधिकृत अधिकारी का नाम अधिकृत पत्र के अनुसार सही कर दिया गया है।
2.	ऑनलाइन पार्ट–1 के क्रमांक– B-1 के Proposal Submitted in Past पंक्ति–1 में अपलोड किया गया विवरण गलत है तथा पुर्नरावृत्त होने के कारण एन0आई0सी0, दिल्ली से डिलिट कराना होगा। इस हेतु आप इस कार्यालय को अनुरोध पत्र प्रेषित करें।	ऑनलाइन पार्ट–1 के क्रमांक– B-1 के Proposal Submitted in Past पंक्ति–1 में अपलोड किया गया विवरण को डिलिट करा दिया गया है।
3.	ऑनलाइन पार्ट–1 के क्रमांक–C-(iv) में प्रस्तावित वनभूमि का Geo Referenced Digital Map अपलोड किया गया है किन्तु Geo Coordinates न तो मैप पर दर्शाये गये है और न ही अलग से संलग्न कर अपलोड किये गये है।	ऑनलाइन पार्ट–1 के क्रमांक–C-(iv) में प्रस्तावित वनभूमि का Geo Referenced Digital Map में Geo Coordinates अलग से संलग्न कर दिया गया है।
4.	ऑनलाइन पार्ट–1 के Additional information Details में अपलोड किया गया गजट प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा	ऑनलाइन पार्ट–1 के Additional information Details में अपलोड किया गया

	सत्यापित नहीं है। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित गजट अपलोड करें।	गजट प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित करा कर अपलोड कर दिया गया है।
5.	ऑनलाइन पार्ट–1 के Additional information Details में अपलोड किया गया लीज अवधि से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र में लीज अवधि वर्षो में अंकित नहीं किया गया है।	ऑनलाइन पार्ट–1 के Additional information Details में अपलोड किया गया लीज अवधि से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र में लीज अवधि वर्षो में अंकित कर दिया गया है तथा इससे संदर्भित प्रमाण पत्र संलग्न है।
6.	ऑनलाइन पार्ट–1 के Additional information Details में भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में मलवा उत्सर्जन के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया गया है।	ऑनलाइन पार्ट–1 के Additional information Details में भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में मलवा उत्सर्जन के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया गया है।
7.	ऑनलाइन पार्ट–1 के Additional information Details में दिनांक 14.12.2017 को मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक की कार्यवृत्त में उल्लिखित शर्त सं0–3 के अनुपालन में एन0टी0पी0सी0 द्वारा उपयोग में न लायी जाने वाली वनभूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण की कार्यवाही पूर्ण कराते हुये मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर की रिपोर्ट अपलोड नहीं है, अपलोड करें।	ऑनलाइन पार्ट–1 के Additional information Details में दिनांक 14.12.2017 को मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक की कार्यवृत्त में उल्लिखित शर्त सं0–3 के अनुपालन में एन0टी0पी0सी0 द्वारा दिनांक 30.03.2022 को वन विभाग के पक्ष मे वापस किया गया प्रमाण पत्र संलग्न है।

In view of the above, you are requested to accept the proposal for further proceedings.

Thanking You,

Yours Faithfully,

Anit Kumar
DGM (Hr.)
NTPC- Rihand
Sonebhadra- Uttar Pradesh

अनित कुमार / ANIT KUMAR
उप महाप्रबंधक (मा० सं०)/DGM (H.R.)
एनटीपीसी लि० रिहंद/NTPC Ltd. Rihand
सोनभद्र (उ.प्र.) / Sonebhadra (U.P.) 231223

दिनांक 01.04.2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी
17 राणा प्रताप मार्ग
उ0प्र0 लखनऊ ।

विषयः– रिहन्द सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, रिहन्दनगर–बीजपुर, जिला–सोनभद्र के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण भवन सी0जी0ओ0 कम्पलेक्स लोदी रोड नई दिल्ली के पत्र संख्या–8–412 / 89–एफ0सी0 दिनांक–23.08.1991 द्वारा सैद्धान्तिक रूप से स्वीकृत 744.00 हे0 वन भूमि के संबंध में अनुपालन आख्या उपलब्ध कराया जाना ।

संदर्भः– 1–एफ0ए0सी0 की बैठक दिनांक– 16.11.2017 के क्रम में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज ,जोर बाग रोड, नई दिल्ली का पत्र संख्या–8–412 / 1989– एफ0सी0(पी0टी0) दिनांक– 06.12.2017

2–भारत सरकार का उक्त पत्र दिनांक– 06.12.2017 के क्रम में मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ की अध्यक्षता में रिहन्द सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, रिहन्दनगर–बीजपुर, जिला–सोनभद्र के वन भूमि हस्तान्तरण के संबंध में दिनांक–14.12.2017 को सम्पन्न हुयी बैठक के कार्यवृत्त संबंधी पत्रांक–1607 / 11–सी–बैठक दिनांक–12 / 14.12.2017

3– मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक–2400 / 11–सी दिनांक–16.02.2022

4– मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर का पत्रांक– 4109 / मी0क्षे0 / 33 दिनांक–23.03.2022

5– प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट, वन प्रभाग रेनुकूट, सोनभद्र उ०प्र० पत्रांक 2617/ रेनुकूट/15-6 रेनुकूट दिनांक 24.02.2022

महोदय,

विषयक प्रकरण में संदर्भित पत्रो का अवलोकन करने की कृपा करे । प्रष्नगत प्रकरण में एफ0एस0सी0 की बैठक दिनांक–16.11.2017 के क्रम में भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक– 06.12.2017, व मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी बैठक दिनांक– 14.12.2017 में लिये गये निणय की बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नानुसार है :–

क्र0 सं0	मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी बैठक दिनांक– 14.12.2017 में लिये गये निणय में उल्लिखित बिन्दु ।	अनुपालन आख्या
1	2	3
1	भारत सरकार , नई दिल्ली के पत्र दिनांक– 23.08.1991 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त 744 हे0 वन भूमि में से एन0टी0पी0सी0 द्वारा उपयोग में लाई जा	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि भारत सरकार , नई दिल्ली के पत्र दिनांक– 23.08.1991 द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेष में उल्लिखित 744 हे0 वन भूमि में से एन0टी0पी0सी0 द्वारा वर्तमान में 555.759 हे0 वन भूमि उपयोग में लाई जा रही है जिसका मौके पर चिन्हांकन करते हुए संषोधित वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के नवीन दिषा निर्देषों के अनुसार ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या– FP/UP/THERMAL/36097/2018 एन0टी0पी0सी0 द्वारा परिवेष पोर्टल पर अपलोड किया गया है । अपलोड किये गये ऑन लाईन प्रस्ताव को मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ द्वारा सही पाये जाने पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव की हार्ड कापी चेक लिस्ट के अनुसार रेनुकूट वन प्रभाग में उपलब्ध कराया जायेगा ।

<table>
<tr><td></td><td>रही है वन भूमि का मौके पर चिन्हांकन करते हुये कुल वास्तविक संषोधित वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के नवीन दिषा निर्देषों के अनुसार ऑनलाइन प्रस्ताव एन0टी0पी0सी0 द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा, जिसमें वर्तमान दिषा–निर्देषों के अनुसार उक्त वन भूमि का जियो रिफरेंस डिजिटल मैप, के0एम0एल0 फाईल की सी0डी0 एवं एस0ओ0आई0 टोपोषीट आदि सहित पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगें ।</td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>एन0टी0पी0सी0 द्वारा उपरोक्तानुसार उपयोग में लाई जा रही संषोधित चिन्हित वन भूमि का Land use define करेंगें</td><td>इस बिन्दु के अनुपालन में एन0टी0पी0सी0 द्वारा उपरोक्तानुसार उपयोग में लाई जा रही संषोधित चिन्हित 555.759 हे0 वन भूमि का Land use define किया जा चुका है जिससे संबंधित अभिलेख प्रस्ताव की हार्ड कापी के साथ प्रस्तुत किया जायेगा ।</td></tr>
<tr><td>3</td><td>एन0टी0पी0सी0 द्वारा उपयोग में लाई जा रही संषोधित वन भूमि के अतिरिक्त उपयोग में ना लाई जा रही वन भूमि को वन विभाग के पक्ष में वापस करनी होगी, जिस हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ के दिषा–निर्देषों के अनुसार मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर द्वारा हस्तान्तरण की कार्यवाही सम्पन्न करायी जायेगी ।</td><td>इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि एन0टी0पी0सी0 द्वारा उपयोग में लाई जा रही 555.759 हे0 (भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–4 के अन्तर्गत विज्ञापित) वन भूमि के अतिरिक्त उपयोग में ना लाई जा रही (744–555.759) = 188.241 हे0 (भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–20 में विज्ञापित) निम्न वन भूमि, का एन0टी0पी0सी0 के नामित अधिकारियो के साथ विभाग के क्षेत्रीय वन अधिकारी जरहा एवं उप प्रभागीय वनाधिकारी म्योरपुर द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया ।
<table>
<tr><th>क्र0 सं0</th><th>ग्राम का नाम</th><th>क्षेत्रफल(हे0मे)</th><th>जी0पी0एस0लोकेषन के अनुसार मौके पर बनाये गये कुल पैचो की संख्या</th></tr>
<tr><td>1</td><td>मिटिहिनी</td><td>27.726</td><td>01</td></tr>
<tr><td>2</td><td>खम्हरिया</td><td>13.001</td><td>01</td></tr>
<tr><td>3</td><td>झीलो</td><td>147.514</td><td>01से 06 तक</td></tr>
<tr><td></td><td>योग–</td><td>188.241</td><td></td></tr>
</table>
संयुक्त निरीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि एन0टी0पी0सी0 द्वारा उपयोग में ना लाई जा रही उक्त 188.241 हे0 धारा–20 में विज्ञापित वन भूमि पर कोई अतिक्रमण नही है तथा वनीकरण हेतु उपयुक्त है । उक्त 188.241 हे0 वन भूमि को एन0टी0पी0सी0 द्वारा दिनांक– 30.03.2022 को वन विभाग के पक्ष में वापस किया गया है । प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न है ।</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>4</td>
<td>एन0टी0पी0सी0 द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले संषोधित प्रस्ताव में शुद्ध वर्तमान मूल्य को पूर्व में जमा की गई शुद्ध वर्तमान मूल्य की धनराषि से समायोजित किया जायेगा ।</td>
<td>इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि एन0टी0पी0सी0 द्वारा वर्तमान में संषोधित प्रस्ताव में प्रभावित 555.759 हे0 वन भूमि का एन0पी0वी0 (षुद्ध वर्तमान मूल्य) का आंकलन एवं 555.759 हे0 के सापेक्ष 280.508 हे0 वन भूमि के संबंध में पूर्व में जमा किये गये एन0पी0वी0 की धनराषि जिसका समायोजन किया जाना है उसका विवरण एवं समायोजित धनराषि के उपरान्त जमा किये जाने योग्य अवषेष धनराषि जो 555.759 हे0 वन भूमि के संबंध में भारत सरकार द्वारा संषोधित सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेष जारी होने के उपरान्त जमा किया जायेगा उसका विवरण निम्नानुसार है :-
<table>
<tr><th>प्रभावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हे0में)</th><th>भारत सरकार पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज जोरबाग रोड नई दिल्ली का पत्र दिनांक- 06.01.2022 द्वारा "इको श्रेणी तृतीय" के अन्तर्गत "खुला वन" के लिए निर्धारित एन0पी0वी0 की दर (प्रति हे0)</th><th>555.759 हे0 वन भूमि का निर्धारित एन0पी0वी0 की धनराषि</th><th>555.759 हे0 के सापेक्ष 280.508 हे0 वन भूमि के संबंध में एन0टी0पी0सी0 द्वारा पूर्व में जमा की गयी एन0पी0वी0 की धनराषि (रू0 में)</th><th>एन0टी0पी0सी0 द्वारा जमा की जाने वाली अवषेष धनराषि (रू0 में)</th></tr>
<tr><td>555.759</td><td>957780/-</td><td>532294855.02 या 532294855/-</td><td>25,80,67,360/-</td><td>27,42,27,495/-</td></tr>
<tr><td colspan="5">(रू0 सत्ताईस करोड़ बयालिस लाख सत्ताईस हजार चार सौ पन्चानवे मात्र)</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>संषोधित वन भूमि हस्तान्तरण के प्रस्ताव में भारत सरकार के दिषा-निर्देषों के अनुसार क्षतिपूर्ति हेतु दूगने अवतन वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की 10 वर्षो के अनुरक्षण सहित आवष्यक धनराषि वर्तमान संषोधित दर के अनुसार मॉग की जायेगी , जिसमें एन0टी0पी0सी0 द्वारा पूर्व में जमा की गई क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराषि को समायोजित किया जायेगा ।</td>
<td>इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि एन0टी0पी0सी0 द्वारा वर्तमान में संषोधित प्रस्ताव में प्रभावित 555.759 हे0 वन भूमि के दुगूने अवनत वन भूमि 555.759 X 2 = 1111.518 या 1112 हे0 के सापेक्ष 561 हे0 अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण की निर्धारित धनराशि (रू0 4969500 + 32738115 = रू0 37707615/-)एन0टी0पी0सी0 द्वारा प्रभाग में पूर्व में उपलब्ध कराया गया । वनीकरण कार्य हेतु पूर्व में उपलब्ध कराये गये क्षतिपूरक वनीकरण की धनराषि जिसका समायोजन किया जाना है उसका विवरण एवं समायोजित धनराषि के उपरान्त जमा किये जाने योग्य अवषेष धनराषि जो 555.759 हे0 वन भूमि के संबंध में भारत सरकार द्वारा संषोधित सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेष जारी होने के उपरान्त जमा किया जायेगा, उसका विवरण निम्नानुसार है :-
<table>
<tr><th>प्रभावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हे0में)</th><th>प्रभावित वन भूमि 555.759 हे0 के दुगूने अवनत वन भूमि 555.759 X 2 = 1111.518 या 1112 हे0 पर क्षतिपूरक वनीकरण की 10 वर्षीय योजना के अनुसार रू0 135170/- प्रति हे0 की दर से निर्धारित धनराषि (1112X135170)=150309040/-</th><th>1112 हे0 अवनत वन भूमि के सापेक्ष 561 हे0 अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण हेतु एन0टी0पी0सी0द्वारा पूर्व में जमा की गयी धनराषि</th><th>एन0टी0पी0सी0 द्वारा वर्तमान में जमा की जाने वाली निर्धारित अवषेष धनराषि (रू0 में)</th></tr>
<tr><td>555.759</td><td>15,03,09,040/-</td><td>3,77,07,615/-</td><td>11,26,01,425/-</td></tr>
</table>
(रू0 ग्यारह करोड़ छब्बीस लाख एक हजार चार सौ पचीस मात्र)</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>एन0टी0पी0सी0 द्वारा संषोधित वास्तविक क्षेत्रफल के अनुसार प्रस्तुत प्रस्ताव का सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वन अधिकार</td>
<td>इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि एन0टी0पी0सी0 द्वारा प्रस्तावित 555.759 हे0 वन भूमि के संबंध में वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत जिलाधिकारी सोनभद्र के पत्रांक- 246 दिनांक-04.10.2019 द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया है । उक्त प्रमाण पत्र को एन0टीपी0सी0 द्वारा परिवेष पोर्टल पर अपलोड किया गया है । प्रमाण पत्र की हार्ड कापी प्रस्तावं के साथ उच्च स्तर पर प्रेषित किया जायेगा ।</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा ।</td><td></td></tr>
<tr><td>7</td><td>एन0टी0पी0सी0 के द्वारा उपरोक्त कार्यवाही के साथ भारत सरकार के पत्र दिनांक– 23.08. 1991 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की पूर्ण बिन्दुवार अनुपालन आख्या भी प्रस्तुत की जायेगी ।</td><td>इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रष्नगत प्रकरण में भारत सरकार के पत्र दिनांक– 23.08.1991 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेष में अधिरोपित शर्त एवं उसके अनुपालन की स्थिति निम्नानुसार है :–
<table>
<tr><td>क्र0 सं0</td><td>भारत सरकार के पत्र दिनांक– 23.08. 1991 में अधिरोपित शर्तो का विवरण ।</td><td>अनुपालन आख्या</td></tr>
<tr><td>1</td><td>The State Govt should identify 744 ha. of non –forest land immediately with comprehensive compensatory afforestation scheme and map. State Govt. should also take action for transfer of 744 ha of non-forest land in favour of forest Deptt. To be followed up with notification declaring the same as protected forest.</td><td>इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत करना है कि प्रष्नगत परियोजना हेतु स्वीकृत 744 हे0 वन भूमि में सम्मिलित भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–4 के अन्तर्गत विज्ञापित 555.759 हे0 वन भूमि में बन्दोबस्त की कार्यवाही के फलस्वरूप क्षेत्रफल में परिवर्तन होने के कारण प्रभाग द्वारा वस्तु स्थिति से उच्च स्तर पर अवगत कराने के क्रम में नोडल अधिकारी /वन संरक्षक वन उपयोग वृत्त उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या– 1026 दिनांक– 15.02.1994 द्वारा प्रष्नगत प्रकरण में 280.508 हे0 गैर वन भूमि वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने तथा प्रतिपूरक वनीकरण हेतु रू0 4969500/– की धनराषि उपलब्ध कराने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण को निर्देषित किया गया । उक्त निर्देषो के उपरान्त वन महानिरीक्षक एवं विषेष सचिव, भारत सरकार के पत्र दिनांक– 10.04.1997 द्वारा यह निर्देषित किया गया कि भारत सरकार केन्द्रीय सेक्टर की परियोजनओ में जो क्षतिपूरक वनीकरण होना है व दुगूने अवतन वन भूमि पर होना है । भारत सरकार के उक्त आदेष जारी होने के उपरान्त प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गैर वन भूमि विभाग को उपलब्ध नही कराया गया ।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>The User agency will have to transfer the cost of compensatory afforestation in favour of Forest Deptt.</td><td>इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रष्नगत प्रकरण</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

		में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु कुल रू0 3,77,07,615/– जमा किया गया है जिसमें रू0 4969500/– की धनराषि सम्मिलित है ।
8	भारत सरकार के पत्र दिनांक– 06.12. 2017 में दिये गये निर्देष के क्रम में एन0टी0पी0सी0 को निर्देषित किया गया कि वन सलाहकार समिति के निर्णय के अनुपालन में एष डाईक को छोड़े गये खनन क्षेत्रों में डमप करने से हेवी मेटल के रिहन्द जलाषय में लीच करने की सम्भावना पर एक अध्ययन National Economic and Environmental Research Institute, Nagpur से तत्काल कराते हुये उनकी रिपोर्ट इस कार्यालय के माध्यम से भारत सरकार , नई दिल्ली को उपलब्ध कराया जायेगा ।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि एन0टी0पी0सी0 द्वारा National Economic and Environmental Research Institute, Nagpur से रिपोर्ट प्राप्त करते हुए उस रिपोर्ट को परिवेष पोर्टल पर अपलोड किया गया है । रिपोर्ट की हार्ड कापी प्रस्ताव के साथ उच्च स्तर पर प्रेषित किया जायेगा ।

भवदीय

1/4/22

(अनित कुमार)
उप महाप्रबन्धक(मा0स0)
एन0टी0पी0सी0 रिहन्द
सोनभद्र(उ0प्र0)

अनित कुमार / ANIT KUMAR
उप महाप्रबंधक (मा० स०)/DGM (H.R.)
एनटीपीसी लि० रिहंद/NTPC Ltd. Rihand
सोनभद्र (उ०प्र०)/Sonebhadra (U.P.) 231223

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर
पत्रांक– 4109 /मी0क्षे0/33दिनांक,मीरजापुर,मार्च,23 2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:– Diversion of 146.31 ha of forest land for construction of Rihand Thermal Power Project Stage-III(2x500 MW) Ash Dam and Ash Pipe Line in favour of in favour of NTPC in the Sonebhadra district of Uttar Pradesh-constitution of committee-reg.

संदर्भ:– 1–एफ0ए0सी0 की बैठक दिनांक– 16.11.2017 के क्रम में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज ,जोर बाग रोड, नई दिल्ली का पत्र संख्या–8–412/1989– एफ0सी0(पी0टी0) दिनांक– 06.12.2017

3–भारत सरकार का उक्त पत्र दिनांक– 06.12.2017 के क्रम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ की अध्यक्षता में रिहन्द सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, रिहन्दनगर–बीजपुर, जिला–सोनभद्र के वन भूमि हस्तान्तरण के संबंध में दिनांक– 14.12.2017 को सम्पन्न हुयी बैठक के कार्यवृत्त संबंधी पत्रांक–1607/11–सी–बैठक दिनांक– 12/14.12.2017

4– आपका पत्रांक– 2400/11–सी लखनऊ दिनांक– 16.02.2022

महोदय,

विषयक प्रकरण में संदर्भित पत्रो का अवलोकन करने की कृपा करे । प्रश्नगत प्रकरण में एफ0ए0सी0 की बैठक दिनांक–16.11.2017 के क्रम में भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक– 06.12.2017, व मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी बैठक दिनांक– 14.12.2017 में निम्नलिखित निर्णय लिये गये थे :–

1–भारत सरकार , नई दिल्ली के पत्र दिनांक– 23.08.1991 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त 744 हे0 वन भूमि में से एन0टी0पी0सी0 द्वारा उपयोग में लाई जा रही है वन भूमि का मौके पर चिन्हांकन करते हुये कुल वास्तविक संशोधित वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के नवीन दिशा–निर्देशो के अनुसार ऑनलाइन प्रस्ताव एन0टी0पी0सी0 द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा, जिसमें वर्तमान दिशा–निर्देशो के अनुसार उक्त वन भूमि का जियो रिफरेंस डिजिटल मैप, के0एम0एल0 फाईल की सी0डी0 एवं एस0ओ0आई0 टोपोशीट आदि सहित पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगें ।

2– एन0टी0पी0सी0 द्वारा उपरोक्तानुसार उपयोग में लाई जा रही संशोधित चिन्हित वन भूमि का Land use define करेंगें ।

3– एन0टी0पी0सी0 द्वारा उपयोग में लाई जा रही संशोधित वन भूमि के अतिरिक्त उपयोग में ना लाई जा रही वन भूमि को वन विभाग के पक्ष में वापस करनी होगी, जिस हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ के दिशा–निर्देशो के अनुसार मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर द्वारा हस्तान्तरण की कार्यवाही सम्पन्न करायी जायेगी ।

4– एन0टी0पी0सी0 द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले संशोधित प्रस्ताव में शुद्ध वर्तमान मूल्य को पूर्व में जमा की गई शुद्ध वर्तमान मूल्य की धनराशि से समायोजित किया जायेगा ।

5– संशोधित वन भूमि हस्तान्तरण के प्रस्ताव में भारत सरकार के दिशा–निर्देशो के अनुसार क्षतिपूर्ति हेतु दुगने अवतन वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की 10 वर्षो के अनुरक्षण सहित आवश्यक धनराशि वर्तमान संशोधित दर के अनुसार मॉग की जायेगी , जिसमें एन0टी0पी0सी0 द्वारा पूर्व में जमा की गई क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि को समायोजित किया जायेगा ।

6– एन0टी0पी0सी0 द्वारा संशोधित वास्तविक क्षेत्रफल के अनुसार प्रस्तुत प्रस्ताव का सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा ।

7– एन0टी0पी0सी0 के द्वारा उपरोक्त कार्यवाही के साथ भारत सरकार के पत्र दिनांक– 23.08.1991 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की पूर्ण बिन्दुवार अनुपालन आख्या भी प्रस्तुत की जायेगी ।

8– भारत सरकार के पत्र दिनांक– 06.12.2017 में दिये गये निर्देश के क्रम में एन0टी0पी0सी0 को निर्देशित किया गया कि वन सलाहकार समिति के निर्णय के अनुपालन में ऐश डाईक को छोड़े गये खनन क्षेत्रों में डमप करने से हेवी मेटल के रिहन्द जलाशय में लीच करने की सम्भावना पर एक अध्ययन

National Economic and Environmental Research Institute, Nagpur से तत्काल कराते हुये उनकी रिपोर्ट इस कार्यालय के माध्यम से भारत सरकार , नई दिल्ली को उपलब्ध कराया जायेगा।

उक्त निर्देशो के अनुपालन में एन0टी0पी0सी0 के नामित अधिकारियो के साथ विभाग के क्षेत्रीय वन अधिकारी जरहाँ एवं उप प्रभागीय वनाधिकारी म्योरपुर द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया । संयुक्त निरीक्षणोपरान्त स्थिति निम्न प्रकार पायी गयी :–

(1) भारत सरकार द्वारा उक्त बिन्दु संख्या–1 में अंकित 744 हे0 वन भूमि हस्तान्तरण किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक– 23.08.1991 को जारी की गयी । उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश में अंकित 744 हे0 वन भूमि में से 555.759 हे0 (धारा–4 में विज्ञापित वन भूमि) का उपयोग एन0टी0पी0सी0 द्वारा गैर वानिकी प्रयोजन हेतु किया जा रहा है तथा (744हे–555.759हे0) 188.241 हे0 (धारा–20 मे विज्ञापित वन भूमि) का उपयोग एन0टी0पी0सी0 द्वारा नही की जा रही है जिसे उक्त बिन्दु संख्या–3 के अनुपालन में **आपके माध्यम से वन विभाग के पक्ष में वापसी लिये जाने हेतु हस्तान्तरण की कार्यवाही पूर्ण की जानी है** ।

(2) संयुक्त रूप से तैयार किये गये प्रमाण–पत्र को सत्यापित करते हुए चेक लिस्ट के अनुसार अन्य आवश्यक अभिलेख इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है ।

(3) उक्त 188.241 हे0 वन भूमि को वन विभाग द्वारा वापस लिये जाने के उपरान्त अन्य बिन्दुओ से संबंधित सूचना/प्रस्ताव एन0टी0पी0सी0 के स्तर से प्रभाग में उपलब्ध कराये जाने पर उच्च स्तर के माध्यम से भारत सरकार की सेवा में प्रेषित करने की कार्यवाही की जायेगी ।

प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट ने अपने पत्र संख्या –2793/रेनुकूट/15–6 दिनांक 14.03.2022 **(छायाप्रति संलग्न)** द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार द्वारा जारी उक्त पत्र दिनांक– 06.12.2017 के क्रम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ द्वारा जारी कार्यवृत्त दिनांक– 14. 12.2017 के बिन्दु संख्या–3 के अनुपालन में 188.241 हे0 खाली पड़ी एवं एन0टी0पी0सी0 द्वारा उपयोग में न लायी जा रही वन भूमि को मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ , पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक– 2400/11–सी लखनऊ दिनांक– 16.02.2022 के अनुपालन में **प्रकरण से संबंधित संक्षिप्त इतिहास संलग्न करते हुए वन विभाग के पक्ष में वापस लिये जाने हेतु संस्तुति की गयी है।**

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में उपलब्ध करायी गयी संक्षिप्त इतिहास तथा उक्त पर दी गयी संस्तुति के आधार पर बिन्दु संख्या–3 में उल्लिखित **एन0टी0पी0सी0 द्वारा उपयोग में लाई जा रही संशोधित वन भूमि के अतिरिक्त उपयोग में ना लाई जा रही वन भूमि को वन विभाग के पक्ष में वापस करनी होगी, जिस हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ के दिशा–निर्देशो के अनुसार मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर द्वारा हस्तान्तरण की कार्यवाही सम्पन्न करायी जायेगी । के कम में 188.241हे0 वनभूमि को एन0टी0पी0सी0 से वन विभाग के पक्ष में वनभूमि हस्तान्तरण हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट को अधिकृत किया जाता है।** वापस किए गये वनभूमि पर भारत सरकार के पत्र दिनांक 06.12.2017 के कम में दिनांक 14.12.2017 को हुयी आयोजित बैठक के कार्यवृत्त में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

संख्या– 4109 अ/समदिनांकित

प्रतिलिपि– प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट को पत्र संख्या –2793/रेनुकूट/15–6 दिनांक 14.03.2022 के कम में इस आशय से प्रेषित कि **प्रश्नगत 188.241हे0 वन भूमि वनविभाग के पक्ष में हस्तान्तरण करते हुए भारत सरकार के पत्र दिनांक 06.12.2017 के कम में दिनांक 14.12.2017 को हुयी आयोजित बैठक के कार्यवृत्त में अधिरोपित शर्तो का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।**

प्रतिलिपि– कार्यकारी निदेशक, रिहन्द सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, रिहन्दनगर–बीजपुर जिला–सोनभद्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रमेश चन्द्र झा) 23/03/22
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

O/c

जनपद–सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के जरहा रेंज अन्तर्गत रिहन्द सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, रिहन्दनगर–बीजपुर, जिला–सोनभद्र के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण भवन सी0जी0ओ0 कम्पलेक्स लोदी रोड नई दिल्ली के पत्र संख्या– 8–412/89–एफ0सी0 दिनांक–23.08.1991 द्वारा सैद्धान्तिक रूप से स्वीकृत 744.00 हे0 वन भूमि में से एन0टी0पी0सी0 द्वारा उपयोग में ना लाई जा रही वन भूमि को वन विभाग के पक्ष में वापस लिया जाना ।

प्रश्नगत प्रकरण में एफ0ए0सी0 की बैठक दिनांक– 16.11.2017 व बैठक के क्रम में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज ,जोर बाग रोड, नई दिल्ली का पत्र संख्या–8–412/1989– एफ0सी0(पी0टी0) दिनांक– 06.12.2017 व इसके क्रम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ की अध्यक्षता में रिहन्द सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, रिहन्दनगर–बीजपुर, जिला–सोनभद्र के वन भूमि हस्तान्तरण के संबंध में दिनांक–14.12.2017 को सम्पन्न हुयी बैठक के कार्यवृत्त संबंधी पत्रांक–1607/11–सी–बैठक दिनांक–12/14.12.2017 में निम्नलिखित निर्णय लिये गये थे :–

1–भारत सरकार , नई दिल्ली के पत्र दिनांक– 23.08.1991 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त 744 हे0 वन भूमि में से एन0टी0पी0सी0 द्वारा उपयोग में लाई जा रही है वन भूमि का मौके पर चिन्हांकन करते हुये कुल वास्तविक संशोधित वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के नवीन दिशा निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन प्रस्ताव एन0टी0पी0सी0 द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा, जिसमें वर्तमान दिशा–निर्देशों के अनुसार उक्त वन भूमि का जियो रिफरेंस डिजिटल मैप, के0एम0एल0 फाईल की सी0डी0 एवं एस0ओ0आई0 टोपोशीट आदि सहित पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगें ।

2– एन0टी0पी0सी0 द्वारा उपरोक्तानुसार उपयोग में लाई जा रही संशोधित चिन्हित वन भूमि का Land use define करेंगें ।

3– एन0टी0पी0सी0 द्वारा उपयोग में लाई जा रही संशोधित वन भूमि के अतिरिक्त उपयोग में ना लाई जा रही वन भूमि को वन विभाग के पक्ष में वापस करनी होगी, जिस हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ के दिशा–निर्देशों के अनुसार मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर द्वारा हस्तान्तरण की कार्यवाही सम्पन्न करायी जायेगी ।

4– एन0टी0पी0सी0 द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले संशोधित प्रस्ताव में शुद्ध वर्तमान मूल्य को पूर्व में जमा की गई शुद्ध वर्तमान मूल्य की धनराशि से समायोजित किया जायेगा ।

5– संशोधित वन भूमि हस्तान्तरण के प्रस्ताव में भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार क्षतिपूर्ति हेतु दूगने अवतन वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की 10 वर्षो के अनुरक्षण सहित आवश्यक धनराशि वर्तमान संशोधित दर के अनुसार मॉग की जायेगी , जिसमें एन0टी0पी0सी0 द्वारा पूर्व में जमा की गई क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि को समायोजित किया जायेगा ।

6– एन0टी0पी0सी0 द्वारा संशोधित वास्तविक क्षेत्रफल के अनुसार प्रस्तुत प्रस्ताव का सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा ।

7– एन0टी0पी0सी0 के द्वारा उपरोक्त कार्यवाही के साथ भारत सरकार के पत्र दिनांक– 23.08.1991 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की पूर्ण बिन्दुवार अनुपालन आख्या भी प्रस्तुत की जायेगी ।

8– भारत सरकार के पत्र दिनांक– 06.12.2017 में दिये गये निर्देश के क्रम में एन0टी0पी0सी0 को निर्देशित किया गया कि वन सलाहकार समिति के निर्णय के अनुपालन में एश डाईक को छोड़े गये खनन क्षेत्रों में डमप करने से हेवी मेटल के रिहन्द जलाशय में लीच करने की सम्भावना पर एक अध्ययन National Economic and Environmental Research Institute, Nagpur से तत्काल कराते हुये उनकी रिपोर्ट इस कार्यालय के माध्यम से भारत सरकार , नई दिल्ली को उपलब्ध कराया जायेगा ।

उक्त निर्देशों के अनुपालन में एन0टी0पी0सी0 के नामित अधिकारियो के साथ विभाग के क्षेत्रीय वन अधिकारी जरहा एवं उप प्रभागीय वनाधिकारी म्योरपुर द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया । संयुक्त निरीक्षणोपरान्त स्थिति निम्न प्रकार पायी गयी :–

(1) भारत सरकार द्वारा उक्त बिन्दु संख्या–1 में अंकित 744 हे0 वन भूमि हस्तान्तरण किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक– 23.08.1991 को जारी की गयी । उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश में अंकित 744

हे0 वन भूमि में से 555.759 हे0 (धारा–4 में विज्ञापित वन भूमि) का उपयोग एन0टी0पी0सी0 द्वारा गैर वानिकी प्रयोजन हेतु किया जा रहा है तथा(744हे–555.759हे0) 188.241 हे0 (धारा–20 में विज्ञापित वन भूमि) का उपयोग एन0टी0पी0सी0 द्वारा नही की जा रही है जिसका ग्रामवार विवरण निम्नानुसार है :–

क्र0 सं0	ग्राम का नाम	क्षेत्रफल(हे0मे)	जी0पी0एस0लोकेशन के अनुसार मौके पर बनाये गये कुल पैचो की संख्या
1	मिटिहिनी	27.726	01
2	खम्हरिया	13.001	01
3	झीलो	147.514	01से 06 तक
	योग–	188.241	

(2) एन0टी0पी0सी0 द्वारा उपयोग में ना लाई जा रही उक्त 188.241 हे0 धारा–20 में विज्ञापित वन भूमि पर कोई अतिक्रमण नही है तथा वनीकरण हेतु उपयुक्त है , जिसे मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ , पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक– 2400 / 11–सी दिनांक– 16.02.2022 व मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के पत्रांक– 4109 / मी0क्षे0 / 33 दिनांक– 23.03.2022 के अनुपालन में आज दिनांक– 30/3/2022 को रेनुकूट वन प्रभाग के पक्ष में एन0टी0पी0सी0 से वापस कब्जा लिया जाता है । कब्जा लिये गये 188.241 हे0 वन भूमि पर कोई अतिक्रमण न हो इसका पूर्ण नियंत्रण क्षेत्रीय वन अधिकारी जरहा की होगी ।

कब्जा सौपंने वाले अधिकारी | **कब्जा प्राप्त करने वाले अधिकारी**

30/3/22
अनित कुमार / ANIT KUMAR
उप महाप्रबंधक (मा० स०)/DGM (H.R.)
एनटीपीसी लि० रिहंद/NTPC Ltd. Rihand
सोनभद्र (उ०प्र०)/Sonebhadra (U.P.) 231223

30/3/2022
Arvind Kumar Shukla
Dy Manager
NTPC - Rihand Nagar

ए०के० शुक्ल / A.K. SHUKLA
उपप्रबंधक (मा०सं०-सी०एस०आर)
Dy. Manager (HR-CSR)
एनटीपीसी लि० रिहंद/NTPC Ltd. Rihand
सोनभद्र (उ०प्र०)/Sonebhadra (U.P.) 231223

(1) (कांतिलाल तिवारी)
वन दरोगा
डाला बीट
जरहा रेन्ज
(2) पत्रावली
साम जी
वन रक्षक
कुड़ा व परवलवा बीट
जरहा रेंज
(3) (सरोज कुमार पाण्डेय)
वन दरोगा
कुड़ा सेक्शन जरहा रेंज
(4)
30/03/2022
आ. लाल
वन दरोगा,
बीजपुर सेक्शन,
जरहा रेंज

उप प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग
रेनुकूट–सोनभद्र

(मनमोहन मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रेणुकूट वन प्रभाग, रेणुकूट-सोनभद्र

क्षेत्रीय वन अधिकारी
जरहाँ रेन्ज
रेनुकूट वन प्रभाग
रेनुकूट